THE UTTAR PRADESH RECOVERY OF TAXES AND OTHER PUBLIC MONEYS (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1970

(U. P. Act No. 15 of 1970)

*[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Kar tatha Anya Lok Dhan Ki Vasuli (Sanshodhan tatha Vaidhikaran) Adhiniyam,* 1970]

AN

ACT

further to amend the Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1965, and to provide for the bar of civil suits for the recovery of certain taxes and to validate certain proceedings.

IT is hereby enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Recovery of Taxes and Other Public Moneys (Amendment and Validation) Act, 1970.

Amendment of U. P. Act XXV of 1965.

2. Section 3 of the Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1965, is, with effect from December 4, 1965, repealed and re-enacted with the modification that—

(i) in sub-section (1), the words "without prejudice to any other mode of recovery under any other law for the time being in force" shall be *omitted* ;

(ii) *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) No suit for the recovery of any sum due as aforesaid shall lie in the civil court against any person referred to in sub-section (1):

Provided that nothing in this section shall—

(*a*) be construed to bar a suit or affect any other right or remedy against such person or any other person in respect of a mortgage, charge or pledge in favour of the State Government, the Corporation, a Government Company, the State Bank of India or any other scheduled bank; or

(*b*) be construed to bar a suit or affect any other right or remedy against any other person in respect of a contract of indemnity or guarantee entered into in relation to an agreement referred to to sub-section (1)."

Bar of civil suit in certain cases.

3. (1) No suit shall lie or be deemed, at any time after January 25, 1950, ever to have lain in the civil court for the recovery of—

(*a*) any tax, cess, fee, duty or any other impost, by whatever name called, charged, levied or collected by or under any Uttar Pradesh Act, whether passed before or after the commencement of the Constitution, where any enactment provides for the recovery thereof as arrears of revenue;

(*b*) *taqavi* or any other dues of any nature whatsoever, other than dues referred to in clause (*a*) or in the Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1965, where any Uttar Pradesh enactment, whether passed before or after the commencement of the Constitution, provides for the recovery thereof as arrears of revenue.

(2) Every such enactment providing for the recovery of sums referred to in sub-section (1) as arrears of revenue is, with effect from the original date of its commencement, repealed and re-enacted so as to have effect subject to the provisions of sub-section (1).

(3) Nothing in this section shall be construed to apply in relation to any enactment which had either expired or been repealed before the commencement of this Act.

---

*For statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated March 3, 1970.

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 11, 1970 and the Uttar Pradesh Legislative Council on March 20, 1970).

(Received the Assent of the President on April 7, 1970, under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated April 8, 1970).

Price 05 Paise.

Validation.

4. Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, any proceeding for the recovery of any sum referred to in section 3 of the Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1965 or in section 3 of this Act as arrears of revenue taken or purporting to be taken before the commencement of this Act and anything done or any action taken or purporting to be taken in pursuance of or in consequence of such proceeding shall be deemed to be and always to have been done or taken under and by virtue of the provisions of the relevant enactment as re-enacted by section 2 or section 3, as the case may be, and to be and always to have been as valid as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Savings.

5. Nothing in sections 2 and 3 shall be construed to affect the validity or executability of any decree passed in a suit by a civil court before the commencement of this Act for the recovery of any sum referred to therein :

Provided that notwithstanding anything contained in any Uttar Pradesh Act, no proceeding shall be maintainable for the recovery of any such judgment-debt as arrears of revenue.

Repeal of U. P. Ordinance no. I of 1970.

6. The Uttar Pradesh Recovery of Taxes and Other Public Moneys (Amendment and Validation) Ordinance, 1970 is hereby repealed.

PSUP—A. P. 60 Gel. (Leg)—1970—1,852+50 (M.)

उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक-धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1970)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 मार्च, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 20 मार्च, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 7 अप्रैल, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 8 अप्रैल, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।]

लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1965 का अग्रेतर संशोधन करने और कतिपय करों की वसूली के निमित्त दीवानी वादों पर रोक लगाने की व्यवस्था करने और कतिपय कार्यवाहियों का वैधीकरण करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक-धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1965 का संशोधन

2—लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1965 की धारा 3, दिनांक 4 दिसम्बर, 1965 से, निरस्त की जाती है और इस परिष्कार के साथ पुनः अधिनियमित की जाती है कि —

(1) उपधारा (1) में शब्द "तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" निकाल दिये जायें ;

(2) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(3) उपर्युक्त प्रकार की देय किसी धनराशि की वसूली के लिये उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध दीवानी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से—

(क) राज्य सरकार, निगम, सरकारी कम्पनी, स्टेट बैंक आफ़ इंडिया या किसी अन्य अनुसूचित बैंक के हक में किसी बंधक, भार या किसी गिरवी के सम्बन्ध में उक्त व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं समझी जायगी और न किसी अन्य अधिकार या प्रत्युपाय पर प्रभाव पड़ेगा ; या

(ख) उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी अनुबंध के सम्बन्ध में की गयी क्षति-पूर्ति या प्रत्याभूति की संविदा के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत करने पर रोक नहीं समझी जायगी और न किसी अन्य अधिकार या प्रत्युपाय पर प्रभाव पड़ेगा।"

कतिपय दशाओं में दीवानी वाद पर रोक

3—(1) (क) उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, चाहे वह संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व पारित किया गया हो या उसके पश्चात्, भारित, आरोपित या संगृहीत किसी कर, उपकर, शुल्क, उपशुल्क या किसी अन्य महसूल, चाहे उसका कोई भी नाम हो, यदि किसी अधिनियमिति में यह व्यवस्था हो कि उसे मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है ;

(ख) तकावी या अन्य किसी देय, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो, किन्तु खण्ड (क) में व लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1965 में अभिदिष्ट देयों से भिन्न हो, यदि किसी उत्तर प्रदेश की अधिनियमिति में, चाहे वह संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व पारित की गयी हो या उसके पश्चात्, यह व्यवस्था हो कि उसे मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है,

की वसूली के लिये कोई भी वाद न तो दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत किया जायगा और न 25 जनवरी, 1950 के पश्चात् किसी समय, कभी प्रस्तुत किये जाने के योग्य समझा जायगा।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 3 मार्च, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

(2) ऐसी प्रत्येक अधिनियमिति जिसमें उप-धारा (1) में अभिदिष्ट किसी धनराशि की मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली के लिये व्यवस्था हो, उसके प्रारम्भ होने के मूल दिनांक से, निरस्त की जाती है और इस प्रकार पुनः अधिनियमित की जाती है, जिससे कि वह उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रभावी रहे ।

(3) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह किसी ऐसी अधिनियमिति के सम्बन्ध में लागू होती है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या तो समाप्त हो गई थी या निरस्त कर दी गई थी ।

वैधीकरण

4—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1965 की धारा 3 में या इस अधिनियम की धारा 3 में अभिदिष्ट किसी धनराशि की मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की गई या करने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही, और उक्त कार्यवाही के अनुसरण में या उसके फलस्वरूप की गई या करने के लिये तात्पर्यित क्रिया या कार्यवाही, यथास्थिति, धारा 2 या धारा 3 द्वारा पुनः अधिनियमित संगत अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन व उनके प्रभाव से की गयी और सदैव से की गई समझी जायगी तथा वह उतनी ही वैध समझी जायेगी और सदैव से वैध समझी जायगी मानो कि इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे ।

अपवाद

5—धारा 2 और 3 की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उनमें अभिदिष्ट किन्हीं धनराशि की वसूली के लिये किसी दीवानी न्यायालय द्वारा किसी वाद में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, दी गई किसी डिक्री की वैधता या निष्पादेयता पर प्रभाव पड़ता है

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुये भी, मालगुजारी की बकाया के रूप में किसी ऐसे निर्णीत ऋण की वसूली के लिये कोई कार्यवाही संधार्य न होगी ।

उ० प्र० अध्यादेश संख्या 1, 1970 का निरसन

6—उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश 1970 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

पी०एस०य०पी०—ए० पी० 61 जनरल (लेग०)—1970—1,834+50 (मे०) ।